**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या : 1997**
**गुरुवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

## दगडार्थी विमानपत्तन का विकास

**1997. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में दगडार्थी विमानपत्तन को कब स्वीकृत किया गया था;
(ख) क्या यह सच है कि उक्त विमानपत्तन के डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और हस्तांतरण के लिए प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) बहुत पहले आमंत्रित किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त प्रयोजन के लिए बोलियों को अनुमोदित कर दिया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं और विमानपत्तन का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और
(ङ) परियोजना के प्रथम चरण के कब तक पूरा होने और सार्वजनिक उपयोग के लिए खोले जाने की संभावना है?

**उत्तर**
**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) से (ङ(: भारत सरकार (जीओआई) ने दगदार्थी (नेल्लोर) में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए वर्ष 2016 में आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी थी।

प्रारंभ में दिनांक 07.06.2016 को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत हवाईअड्डे के विकास के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं थीं। जून, 2018 में हस्ताक्षरित रियायत समझौते को बाद में चयनित बोलीदाता द्वारा अनिर्णायक वित्तीय समापन के कारण वर्ष 2020 में समाप्त कर दिया गया था। इसके आगे पीपीपी रियायतकर्ता के चयन के लिए दिनांक 05.09.2025 को निविदा जारी की गई थी, जिसके बाद दूसरी बार दिनांक 05.03.2026 पर और तीसरी बार दिनांक 29.05.2026 को निविदा जारी की गई थी। आज तक कोई बोली स्वीकृत नहीं की गई है।

ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति के अनुसार, हवाईअड्डा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार (यदि राज्य सरकार परियोजना प्रस्तावक है) सहित संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता की होती है । हवाईअड्डे के निर्माण की समय-सीमा कई कारकों

पर निर्भर करती है जैसे भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरी की उपलब्धता, वित्तीय समापन, आदि ।

******